न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 44/19 GCMS NO 2019/00184

1. कजोड मीना पुत्र बीरवल
2. रामकैलाश पुत्र बीरवल
3. रोहिताश मीना पुत्र कजोड
4. बनवारी पुत्र रामकैलाश
5. लोकेश पुत्र रामकैलाश सभी जातियान मीना निवासीयान ग्राम सेलू तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. फाईना बानो पुत्री मांग्या
2. फाईना बानो पुत्री मांग्या जातियान मुसलमान गद्दी निवीसयान दोवडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 27/19 निर्णय दिनांक 1.7.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)
अभिभाषक अपीला0 श्री भोलाशंकर शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री इंसाफ अली

दिनांक 13.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 1.7.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/प्रार्थीयान ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजीयात हाल खाता संख्या 81 हाल ख0न0 336 रकबा 0.37 है0 नहरी ग्राम दोवडा कलां मे स्थित है। उक्त ख0न0 336 की आराजीयात पर पहले उसके मूल खातेदार मांग्या निर्विवाद काश्त कर लाभ उठाते रहे है मगर मांग्या के पुत्र संतान नही होने एवं आंखो से अंधा हो जाने के कारण उन्होने जरिये रहन पत्र द्वारा उक्त आराजी अपनी पुत्रियो/प्रार्थीयान के नाम कर दी तथा पिछले कई वर्षो से प्रार्थीयान ही उक्त आराजी पर फसल काश्त कर रही है। दिनांक 12.4.19 को जब प्रार्थीयान अपनी आराजी ख0न0 336 पर अपनी चने की फसल थेसर से निकलवाने गई तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 पास स्थित अपने खेतो से आये और प्रार्थीयान को कहने लगे की इस बार तो आपने फसल काश्त कर ली अगली वार ख0न0 336 के उत्तर दिशा मे हमारी मेड के सहारे 2–3 फीट जगह छोडकर जुताई बुआई करना बरना अच्छा नही होगा। अब की बार तुमको काश्त नही करने देगे एवं प्रार्थीयान से झगडा करने पर [illegible] गये। दिनांक 22.4.19 को प्रार्थीयान जब उक्त ख0न0 336 पर बगीचा ल[illegible] तो अप्रार्थीगण 1 ता 5 द्वारा उक्त आराजी पर तारबंदी नही [illegible] लगे की 4–5 फीट जगह छोडकर तारबंदी करो बरना तुम्हे काश्त नही करने देगे। [illegible] प्रकार अप्रार्थीयान [illegible] की उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजीयात के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थीयान/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने से पूर्व पत्रावली का विधि पूर्वक अवलोकन नही किया गया व विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर आराजी ख0न0 336 रकबा 0.37 है0 उसके पिता मांग्या की खातेदारी की आराजी है एवं दिनांक 12.4.19 को जब वह अपनी फसल को थ्रेसर से निकलवाने गई तो अपीलांट ने कहा कि इस बार तो फसल काश्त कर ली अगली वार आराजी ख0न0 336 के उत्तर दिशा मे दो तीन फीट जगह छोडकर जुताई करना तथा दिनांक 22.4.19 को उक्त ख0न0 की तारबंदी अपीलांट ने नही करने दी का तथ्य अंकित किया है लिहाजा अपीलांट को पाबन्द किया जावे। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे ये जबाबदेही दी थी कि विवादित ख0न0 अपीलांट की खरीद शुदा है जिसे रेस्पो0 के पिता ने अपीलांट के पिता को 10000/–रूपये मे बेचकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था एवं इसी कारण अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। उन्हे पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजीयात के अपीलांट के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदालखत नही करै। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करके रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर लिया जो विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे ना तो प्राईमाफेसी केस निर्णित किया है ना ही अपूर्णनीय क्षति ,सुविधा का संतुलन के बिन्दु को निर्णित किया है जो कानून निर्णित करना आवश्यक था। ऐसी सूरत मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे सिर्फ खातेदार ही ला सकता है। विवादित आराजीयात का खातेदार स्वीकृत रूप से मांग्या है एवं मांग्या द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश नही किया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 खातेदार नही है ऐसी सूरत मे दावा लाने का हकदार नही है। जब रेस्पो0 संख्या 1 व 2 दावा लाने की हकदार नही है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वह किसी प्रकार का रिलीफ प्राप्त करने की हकदार भी नही है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है। ... से ही निरन्तर निर्बाध रूप से अपीलांट के कब्जे मे है। अपीलांट का विवादित आराजीयात का मिति सुदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जेठ पुर्णिमा सम्वत 2048 को 10000/—रूपये मे खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। जिसकी लिखापढी वही मे की गई थी तभी से अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कब्जा है। जिसके बाबत अधिनस्थ न्यायालय मे मौका दिखाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से खारिज कर दिया। कानूनन बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषनीय नही होता है। ऐसी सूरत मे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कब्जा नही है। बल्कि अपीलांट का निर्विवाद कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय होने के समय अपीलाट के यात्रा पर चले जाने के कारण समय पर अपील पेश नही हो सकी। इसके बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न कर अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट का काउन्टर क्लेम सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 336 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम दोबडा कलां तहसील सवाई माधोपुर के अपीलांट के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे महाहमत नही करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि आराजीयात हाल खाता संख्या 81 हाल ख0न0 336 रकबा 0.37 है0 नहरी ग्राम दोवडा कलां मे स्थित है। उक्त ख0न0 336 की आराजीयात पर पहले उसके मूल खातेदार मांग्या जो कि रेस्पो0 के पिता थे का निर्विवाद काश्त कर लाभ उठाते रहे है रेस्पो0 के पिता मांग्या के पुत्र संतान नही होने एवं आंखो से अंधा हो जाने के कारण उन्होने जरिये रहन पत्र द्वारा उक्त आराजी अपनी पुत्रियो/प्रार्थीयान के नाम कर दी तथा पिछले कई वर्षो से प्रार्थीयान ही उक्त आराजी पर फसल काश्त कर रही है। अपीलांट द्वारा प्रार्थीयान/रेस्पो0 की आराजीयात पर स्थित बगीचे की तार फेंसिग नही करने देने एवं चार से पांच फीट जमीन छोडने की धमकी दिये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। आराजी खाता संख्या 81 मे अंकित ख0न0 336 रकबा 0.37 है0 की खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी सम्वत 2071—74 से स्पष्ट है इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2075 मे भी उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 की काश्त दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे उनका विवादित आराजीयात पर कब्जा सिद्व हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड की जॉच कर विधि के अनुरूप ही रेस्पो/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट/अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम विधि के अनुरूप ही खारिज किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे [illegible] सामने आये कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 81 के हाल ख0न0 [illegible] है [illegible] खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है जो जमाबंदी सम्वत 2071—74 से [illegible] गिरदावरी सम्वत 2075 मे भी काश्त रेस्पो/प्रार्थीगण की दर्शाई गई है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जे के बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ना तो अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया है ना ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । जिससे उनका विवादित आराजीयात पर कब्जा सिद्व हो सके। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे सिद्व नही होने से अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 27/19 निर्णय दिनांक 01.07.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner